नगर निगम का सीवेज फ़ैला रहा जल प्रदूषण–बोर्ड ने थमाया नोटिस

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर भर के सीवेज सिस्टम से निकलने वाले करीब 300 एम एल डी सीवेज में से मात्र 30 एम एल डी का ही ट्रीटमेंट प्लांटों द्वारा शोधन हो पाता है। शेष 270 एम एल डी सीवेज को बुढिया नाले के द्वारा सीधे यमुना में, गौंछी ड्रेन, मवई ड्रेन, गुड़गांव व आगरा नहर के द्वारा दूर दराज के खोतों तक पहुंचाया जा रहा है। जाहिर है इस प्रदूषित जल से बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में पशुओं, मानव स्वास्थ्य फसलों को भारी नुकसान हो रहा है जहां-जहां यह पानी पहुंच रहा है।

नगर निगम का यह कारनामा कोई नया नहीं है। यह काम तो तभी से चलता आ रहा है जिस दिन से यहां सीवरेज सिस्टम बना है। आरम्भ में सीवेज की मात्रा 5-10 एम एल डी थी जो शहरीकरण के साथ बढ़ते-बढते आज 300 एम एल डी से भी अधिक हो गयी है। लेकिन इस पर पहली बार गंभीर चिंता 1994 में तब व्यक्त हुई जब मामला एक वकील एम सी मेहता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। उस वक्त तत्कालीन न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने हरियाणा सरकार की खिंचाई करते हुए 2 वर्ष की अवधि में आवश्यक ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर सारे सीवेज का शोधन करके ही पानी को यमुना में या अन्यत्र कहीं भी छोड़ा जाने का आदेश दिया। जब तत्कालीन चीफ़ इन्जीनीयर पब्लिक हैल्थ

प्रदूषण फैलाने का है पूरा प्रबंध

हरियाणा सरकार ने अवधि 15 दिन और बढ़ाने की मांग की तो कुलदीप सिंह गुस्से से इस कदर उबल पड़े कि चीफ़ साहब को जान छुड़ानी मुश्किल हो गयी।

तुरन्त काम शुरू हो गया। सन् 1994-96 में इस काम पर 110 करोड़ रुपया खर्च कर 4 ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाये गये। पहला 20 एम एल डी का मवई में, दूसरा 60 एम एल डी का गौंछी में व तीसरा 40 एम एल डी का मवई में व चौथा मिर्जापुर में। मजे की बात यह है कि मवई के 20 एम एल डी प्लांट को केवल 14 एम एल डी सीवेज ही पहुंच पाता है क्योंकि इस काम के लिये बनी पाइप लाइन की क्षमता ही इतनी है। जाहिर है प्लांट अपनी क्षमता से कम काम कर पा रहा है। इस पर दूसरा गज़ब यह ढाया गया कि वहीं पर 40 एम एल डी का एक और प्लांट लगा दिया गया। लेकिन सीवेज सप्लाई के लिये वही 14 एम एल डी वाली पाइप रही। इसका मतलब यह हुआ कि 40 एम एल डी का प्लांट कभी चल ही नहीं पाया। वैसे वह प्लांट चलने के हिसाब से बनाया भी नहीं गया था। उसका तो केवल करोड़ों रुपये डकारने के हिसाब से ढांचा ही खड़ा किया गया था। लगभग यही स्थिति गौंछी प्लांट की भी है। वहां भी कभी कुल क्षमता के 30 प्रतिशत से अधिक सीवेज पहुंच ही नहीं पाया। ऐसे में निगम के पास 'बेहतर' उपाय यही रहा है कि सीवेज को सीधे गौंछी ड्रेन में डाल कर बहा दिया जाय। जो होगा उसे जनता भुगतती रहेगी। लगाये गये ट्रीटमेंट प्लांटों की आयु सीमा 15 साल की रखी गयी थी। अच्छे रख-रखाव से इसे 5-10 साल तक और बढ़ाया जा सकता था; परन्तु यहां किसे चिन्ता है इनकी आयु बढ़ाने की।

नगर निगम इन्जीनीयरों की तो चांदी तभी कटेगी जब ये प्लांट खत्म घोषित करके नये प्लांट लगाने के आदेश आयें। सीवेज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब यदि नये प्लांट लगेंगे तो उनकी लागत 500-600 करोड़ तक आयेगी। चलेंगे वे भी ऐसे ही जैसे पहले वाले चले, परन्तु इन्हें लगाने वाले अफ़सरों की जरूर पौ बारह हो जायेगी। किसी की कोठी बनेगी तो कोई फ़ार्म हाऊस खरीदेगा।

ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उक्त आदेश देकर ही छोड़ दिया हो। उनके द्वारा बार-बार रिपोर्टें मांगी गयीं, निरीक्षण हुए, हरियाणा सरकार के सचिव स्तर के आला अधिकारी कई बार इन प्लांटों की कार्यप्रणाली तथा सीवेज सप्लाई लाइन आदि को देखते आये, उन्होंने कई निगम अधिकारियों को हड़काया भी लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच कई अफ़सर चले गये, कई आ गये।

इतना ही नहीं 'मज़दूर मोर्चा' की ओर से दिनांक 16.2.09 को नगर निगम तथा 18.9.2009 प्रदूषण बोर्ड में 50-50 रुपया की फ़ीस ज़मा कर इसी सीवेज के निस्तारण तथा ट्रीटमेंट प्लांटों की कार्यप्रणाली एवं क्षमता से सम्बन्धित-अति महत्वपूर्ण तथा सटीक सवाल पूछे थे लेकिन ऊपर से नीचे तक बैठे तमाम भ्रष्ट, निकम्मे व नालायक अधिकारियों ने लीपा-पोती करके सारे मामले को दवा दिया तथा सीवेज प्रदूषण ज्यों का त्यों चलता आ रहा है।

दिल्ली में तो हालत यहां से भी ज़्यादा खराब है। यहां तो केवल कुछ सौ करोड़ ही यमुना-एक्शन प्लान के नाम पर डकारे गये हैं, वहां तो हज़ारों करोड़ रुपया इसी तरह के प्लांटों के नाम पर डकार कर सारा सीवेज यमुना में बहाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश कुलदीप सिंह को ऐसे मामले हाथ में लेने पर 'ग्रीन जज' के रूप में जाना जाता था। उनके सामने इन मामलों को उठाने वाले वकील एम सी मेहता को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठावाले मेगसायसाय पुरस्कार से नवाजा गया था। लेकिन हकीकत यह है कि इस जोड़ी ने जितने भी प्रदूषण-पर्यावरण मामलों में हाथ डाला वै शायद ही सिरे चढ़े हों।

अब इतने बरसों बाद राज्य सरकार के प्रदूषण बोर्ड ने नगर निगम को नोटिस दिया है। क्या यह भी बताने की जरूरत है कि इस नोटिस का हश्र क्या होने जा रहा है। जिस नगर निगम से सर्वशक्तिमान सुप्रीम कोर्ट व राज्य के वरिष्ठतम नौकरशाह कुछ नहीं करा सके उससे प्रदूषण बोर्ड जैसा बिका हुआ विभाग क्या करवा पायेगा?

आये दिन की दुर्घटनाओं के बावजूद न तो ट्रॉलियों पर अंकुश लगा न ही सड़कों पर पार्किंग थमी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 2-3 मार्च की रात को मथुरा से दिल्ली की ओर जाती यू पी रोडवेज़ की एक बस झाडसेंतली गांव के निकट सड़क पर खड़ी ट्रॉली से टकरा गयी थी। सीमेंट की ईंटों से भरी इस ट्रॉली का ट्रैक्टर खराब हो गया था, इसलिये उसका मालिक उसे वहीं खड़ा छोड़ कर अपने घर जा कर सो गया। उधर बस ड्राइवर रात के अंधेरे में उसे देख नहीं पाया और टकरा गया। हादसे में ड्राइवर की टांग टूटी व 3 महिला यात्री घायल हो गयी थीं।

अगले दिन के अनेकों अखबारों में ज़िले के पुलिस कमिश्नर (सी पी) अरशिंदर चावला का बयान छपा था कि इस तरह के अवैध वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जायेगा। इनके विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जायेगी आदि आदि। लेकिन पूरा मार्च व अप्रैल बीत जाने के बावजूद भी किसी सड़क पर इस बाबत पुलिस की कोई कार्यवाही नज़र नहीं आयी तो। इस संवाददाता ने सी पी का ध्यान उक्त दुर्घटना तथा उसके बाद छपे उनके बयान की ओर दिलाते हुए जानना चाहा कि सड़कों पर दुर्घटनाओं को आमन्त्रित करते इन अवैध वाहनों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? ये सब तो ज्यों के त्यों सड़कों पर फ़र्राटे भर रहे हैं। सभी दुर्घटनायें भी जारी हैं।

सी पी साहब 2-3 मार्च की घटना शायद भूल चुके थे लेकिन याद दिलाने पर उन्हें कुछ याद तो आया। लेकिन अपने बयान के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन से अखबार में छपा था? जरूरी नहीं कि सी पी रोज़ाना सभी अख़बारों को और खास

पुलिस मंथली का कमाल, यूं ही मचेगा धमाल

कर अपने बयानों को भी देखें। लेकिन जरूरी यह है कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर, दूसरों की जान को खतरा बने जो अवैध वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनकी रोका थाम हो। यद्यपि सी पी ने बड़ा जोड़दार आश्वासन दिया कि अवैध वाहन सड़कों पर बिल्कुल नहीं चलने दिये जायेंगे और न ही सड़कों पर इस तरह से खड़ा होने दिया जायेगा जो दुर्घटना का कारण बनें। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब 2 मार्च की दुर्घटना के बाद दिया बयान अथवा सम्बन्धित अधिकारियों को जारी की गयी हिदायतें तक तो सी पी साहब को याद नहीं रहती तो कार्यवाही की उम्मीद कैसे की जाये?

विदित है कि 23 अप्रैल की रात में भी सेक्टर 15 ए में एक ग़लत ढंग से सड़क पर खड़े ट्रक से एक कार टकरा कर दो लोग घायल हो गये। इसी तरह 24 अप्रैल को ग़लत ढंग से दिल्ली में खड़े एक ट्रक से कार टकराई और 4 लोगों की मौत हो गयी।

27 अप्रैल को पलवल-सोहना रोड पर भी ईंटों से भरी ट्राली खींच रहे एक ट्रैक्टर व ट्रक-ट्राले में आमने-सामने की इतनी भीषण टक्कर हुई कि ट्रक में सवार 3 लोग मौके पर ही ज़िंदा जल मरे तथा ट्रक में लदी 10 कारें स्वाहा हो गयी।

लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जो ट्रैक्टर सड़कों पर चलने के लिये कतई अधिकृत नहीं है और न ही चलने के लायक है वे धड़ल्ले से छोटे बड़े ट्राले लगा बहुत ही बेढंगे तरीके से तरह-तरह का सामान ढोते नज़र आते हैं। कहने की जरूरत नहीं उनके इस धड़ल्ले के पीछे वह मंथली या साप्ताहिक भुगतान है जो वे नियमित रूप से पुलिस को करते हैं।

चापलूसों के बुलावे पर सी एम पुत्र पहुंचे शहर में

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 28 अप्रैल को शहर में 38 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों, नालियों, पेयजल परियोजना, स्कूल व कालेज के कमरों का शिलान्यास करने के लिये स्थानीय चापलूसों ने रोहतक के सांसद को शहर बुलाया। उन से बीसियों जगह शिलान्यास आदि के नाटक कराये। समझ नहीं आता कि जनता के पैसे से होने वाले उक्त सार्वजनिक कार्यों के लिये इतनी बड़ी नाटकबाज़ी की जरूरत क्यों पड़ती है?

इन नेताओं को शायद यह भी भ्रम है कि जनता उनकी इस नौटंकी को समझती नहीं और उनके बहकावे में सहज ही आ जायेगी। यह हकीकत इसी बात से समझ आ जानी चाहिये कि प्रत्येक कार्य स्थल पर नेताओं व चापलूसों की भीड़ ही अधिक थी साधारण जनता लगभग नदारद ही रही।

वैसे तो इस तरह के कामों के लिये किसी भी नेता की कोई जरूरत नहीं होती, फ़िर भी यदि हो भी जाये तो शहर में स्थानीय नेताओं की कोई कमी नहीं। सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद और न जाने क्या क्या। इस सबके बावजूद रोहतक के सांसद को बुलाने के पीछे एक ही बात नज़र आती है कि वह मुख्यमन्त्री के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री को खुश रखने के लिये चापलूस लोग उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की चापलूसी का कोई मौका खोना नहीं चाहते, मौका न भी मिले तो मौका बनाया जाता है, जैसे कि उक्त कार्यक्रम। समझने वाली बात यह है कि नेताओं का असल काम इस तरह के नाटकबाज़ियां करना नहीं होता। सरकार चलाने वाले नेताओं का असल काम होता है अपने कार्यालय में बैठकर विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों की निगरानी करें, भ्रष्टाचार को रोककर जनता के पैसे की बर्बादी को रोकें तथा बिना किसी पाखंड के गुप्त-तौर पर कार्य स्थलों कां निरीक्षण करके नालायक, निकम्मी व भ्रष्ट अफ़सरों को उनके सही अंजाम तक पहुंचायें।

लेकिन आजकल इस तरह की जनहित करने के लिये करोड़ों खर्च करके ये लोग नेता नहीं बनते। करोड़ों खर्च करके अरबों बनाने का लक्ष्य ले कर ये लोग चलते हैं। इसी की पूर्ति के लिये नेतागण जगह-जगह भटकते हैं, तमाम भ्रष्ट अफ़सरों को संरक्षण देते हैं। किसी से छिपा नहीं है कि विकास के नाम पर खर्च होने वाले प्रत्येक एक रुपये में से मात्र 25 पैसे ही काम पर लगते हैं, शेष 75 पैसे को नेता, अफ़सर व ठेकेदार मिल बांट कर डकार लेते हैं। इसी का परिणाम होता है जो सड़कें बनती बाद में हैं टूटती पहले हैं। यही हाल उन 38 करोड़ का भी होने वाला है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुत्र करके गये हैं।

इन नेताओं को शायद यह भी भ्रम है कि जनता उनकी इस नौटंकी को समझती नहीं और उनके बहकावे में सहज ही आ जायेगी। यह हकीकत इसी बात से समझ आ जानी चाहिये कि प्रत्येक कार्य स्थल पर नेताओं व चापलूसों की भीड़ ही अधिक थी साधारण जनता लगभग नदारद ही रही। हां इन आयोजनों से चापलूसों व चमचों की दुकानदारी जरूर थोड़ी बहुत बढ़ जायेगी और चन्दा-चौकड़ी का जुगाड़ भी अच्छा-खासा हो गया होगा।